(7)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0क0 विविध /17 जिला कटनी

I/विविध/कटनी/भू.रा.सं./2017/3277

श्री [handwritten signature] अभि0 द्वारा आज दि. 13-9-17 को प्रस्तुत

13-9-17

C/- 14.09.17

13/09/17

1– देवीदीन भूमियां पिता श्री नत्थूलाल भूमिया
निवासी जुहला, तह0 व जिला कटनी म0प्र0

2– रतीरानी पुत्री स्व0 नत्थूलाल भूमियां
निवासी बगैहहा, तह0 बरही
जिला कटनी म0प्र0

3– जगौतिया पत्नि स्व0 नत्थूलाल भूमिया
निवासी जुहला तह0 व जिला कटनी म0प्र0

4– श्रीमती रत्तोबाई पुत्री फत्तु भूमिया
निवासी पिपरहटा तह0 व जिला कटनी म0प्र0

5– मारू भूमिया पिता श्री स्व0 फत्तु भूमिया
निवासी रजरवारा तह0 वि0गढ,
जिला कटनी म0प्र0,

6– वल्लू भूमिया पिता स्व0 फत्तु भूमिया
निवासी जुहला, तह0 व जिला
कटनी म0प्र0

7– सोमवती बाई भूमिया पुत्री स्व0 फत्तु भूमिया
निवासी जुहला, तह0 व जिला कटनी म0प्र0
द्वारा मु0 आम –
श्रीमती मुन्नी बाई पत्नि श्री फत्तु भूमिया

निवासी जुहला, तह0 व

जिला कटनी म0प्र0 ------ आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ------ अनावेदक

आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (श्रीमान द्वारा प्र0क0 निग0 3517–एक / 15 में पारित आदेश दिनाक 20–4–16 जिसकी शर्त कमांक 3 में निर्धारित अवधि को इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 विविध 9023–एक / 17 में पारित आदेश दिनांक 20–1–17 द्वारा 4 माह के लिए बढ़ाया गया है, में और 4 माह की वृद्धि बावत.

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :–

1– यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 3517–एक / 15 में दिनांक 20–4–16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तों के साथ भूमि विकय की अनुमति प्रदान की गई थी तथा शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विकयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।

2–. यहकि, भूमि के सहखातेदार बल्लू आत्मज फत्तू भूमियां के पास कोई भी पहचान पत्र नहीं होने के कारण समयावधि के अंदर विकयपत्र का पंजीयन नहीं हो सका था । इस कारण आवेदक द्वारा पुनः इस न्यायालय के समक्ष विकयपत्र निष्पादन हेतु निर्धारित अवधि को बढ़ाये जाने हेतु विविध प्र0क0 9023–एक / 17 पेश किया गया, जिस पर से इस न्यायालय ने दिनांक 20–1–17 द्वारा 4 माह का समय विकयपत्र के निष्पादन हेतु और दिया गया ।

3– यहकि, आवेदकगण अलग–अलग पते के निवासी होकर तथा शादी विवाह के कार्यकम में व्यस्त होने के कारण एक ही समय पर एकत्रित नहीं हो

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक / विविध / कटनी / भू.रा. / 2017 / 3277

जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक एवं अनावेदक शासन की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्र0क0 3517–एक / 15 में पारित आदेश दिनांक 20.4.16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विकय की अनुमति दी गई है और शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विकयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । उक्त अवधि को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.1.17 को 4 माह के लिए बढ़ाया गया था । यह भी कहा गया कि भूमि के सहखातेदार बल्लू आत्मज फत्तू भूमियां के पास पहचान पत्र नहीं होने तथा आवेदकगण अलग–अलग पते के निवासी होने आदि के कारण एक ही समय पत्र एकत्रित न हो पाने के कारण भूमि के विकयपत्र का पंजीयन प्रस्तावित केता के पक्ष में नहीं कर सके हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदकगण ने प्रस्तावित केता से संपूर्ण राशि बैंक के माध्यम से प्राप्त करली है जिसमें से काफी राशि वे व्यय कर चुके हैं । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा 4 माह का समय विकयपत्र के पंजीयन कराने हेतु दिये जाने का निवेदन किया गया । शासकीय अधिवक्ता को उक्त अनुरोध स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए राजस्व मंडल द्वारा निग0 प्र0क0 3517–एक / 15 में पारित आदेश दिनांक 20–4–16 में विकयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि (जिसे 20.1.17 के आदेश द्वारा 4 माह के लिए बढ़ाया गया है) को आज दिनांक से 3 माह बढ़ाया जाता है । यदि उक्त अवधि में भी विकयपत्र का निष्पादन आवेदकों द्वारा प्रस्तावित केता के पक्ष में नहीं कराया जाता है तो इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति समाप्त मानी जायेगी । उक्त निर्देश के साथ यह विविध प्रकरण समाप्त किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	